प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या / No. हिं.अ./ले.व ह./11/कार्यवृत/2026-27/बी- 85

दिनांक / Date 29/07/2026

कार्यवृत्त

विषयः 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत।

अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए दिनांक 15.07.2026 को प्रधान महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	पदनाम
1.	लोकेश दताल	वरिष्ठ उपमहालेखाकार
2.	डी.पी. श्रीवास्तव	उपमहालेखाकार
3.	सुनील कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)-सह-सचिव
4.	चन्द्र किशोर तिवारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
5.	अजय कुमार पोद्दार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
6.	विनोद कुमार चौधरी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
7.	मो. नैयर आलम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
8.	दीपक कुमार-I	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
9.	रत्नेश कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
10.	प्रियदर्शी विकास	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
11.	मनी कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
12.	संतोष कुमार रजक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
13.	सुनील कुमार नं.-IV	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
14.	सुनील कुमार सिन्हा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
15.	अभय नन्दन कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
16.	अशोक कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
17.	अपराजिता	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
18.	जयप्रकाश	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
19.		

	दीपक कुमार नं.-II	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
20.	दिलीप कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
21.	संजय कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
22.	सुनील कुमार नं.-III	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
23.	संजय कुमार नं.-V	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
24.	चन्द्र प्रकाश सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
25.	सन्नी कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
26.	उदयभान विश्वकर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
27.	दीपक कुमार	सहायक लेखा अधिकारी

सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही से संबन्धित बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 तथा हिंदी में मूल पत्राचार, टिप्पण लेखन आदि की समीक्षा की गई। बैठक की कार्यसूची के अन्य मदों के अनुसार विचार-विमर्श किया गया एवं राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास, कार्यान्वयन एवं शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

<u>मद सं. 1. इस विभाग के "क" एवं "ख" क्षेत्र में अवस्थित कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार करने के संबंध में</u>

अप्रैल-जून 2026 तिमाही हेतु इस कार्यालय को "क" क्षेत्र में अवस्थित कार्यालयों से कुल 1017 पत्र अँग्रेजी में प्राप्त हुए हैं जिसमें 255 पत्रों के प्रतिउत्तर हिंदी एवं 164 पत्रों के प्रतिउत्तर अँग्रेजी में दिये गए तथा 598 पत्रों के प्रतिउत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं थे। उक्त तिमाही के दौरान जिन अनुभागों द्वारा अँग्रेजी पत्रों के प्रतिउत्तर अँग्रेजी में दिये गए हैं उन्हें आदेश दिया है कि "क" एवं "ख" क्षेत्र के कार्यालयों से भविष्य में पत्राचार यथासंभव केवल हिंदी में ही करें।

(कार्रवाई- समस्त अनुभाग)

<u>मद सं. 2. कार्यालय में प्रयोग किए जानेवाले लेखन सामग्री, सूचना-पट्ट, नाम-पट्ट मोहर आदि द्विभाषी करने के संबंध में</u>

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि कार्यालय में प्रयोग होने वाले सभी लेखन सामग्री, सूचना-पट्ट, नाम-पट्ट, मोहर आदि को द्विभाषी किया जाए।

(कार्रवाई-सामान्य अनुभाग)

<u>मद सं. 3. कार्यालयीन हिंदी पत्रिका 'चेतना' के 38वें अंक का प्रकाशन</u>

कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'चेतना' के 38वें अंक के प्रकाशन हेतु रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इससे संबन्धित समिति का गठन किया जाए ताकि हिंदी पखवाड़ा 2026 के दौरान पत्रिका का विमोचन सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाई- हिंदी अनुभाग)

मद सं. 4. हिंदी पखवाड़ा-2026 के आयोजन हेतु समिति का गठन

लेखापरीक्षा एवं लेखा व हकदारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा 2026 का आयोजन सितम्बर माह में किया जाना है जिसकी अगुवाई लेखा व हकदारी कार्यालय द्वारा किया जाना है। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि लेखापरीक्षा कार्यालय से पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त समिति का गठन किया जाए।

(कार्रवाई- हिंदी अनुभाग)

मद सं. 5. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद

अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पुस्तकों के क्रय पर चर्चा की तथा विभिन्न विधाओं की पुस्तकें खरीदने पर बल दिया। इस संबंध में कुछ अनुभागों से हिंदी पुस्तक खरीद संबंधी सूची प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने शेष अनुभागों को हिंदी पुस्तक खरीद हेतु सुझाव देने का निदेश दिया।

(कार्रवाई-सामान्य अनुभाग)

मद सं. 6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालनः

बैठक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 (हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना) के शत-प्रतिशत अनुपालन पर चर्चा की गई। समिति को अवगत कराया गया कि मुख्यालय एवं राजभाषा विभाग द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियम के पूर्णतः अनुपालन पर जोर दिया जाता रहा है। इस आलोक में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा यह जानकारी दी गई कि उक्त तिमाही हेतु इस कार्यालय द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि राजभाषा नियम एवं अधिनियम का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्रवाई- समस्त नियंत्री स्कंध/प्रशासन अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

1. प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।
3. सचिवालय, सभी वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ उपमहालेखाकार।

4. सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी- इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबन्धित बिन्दुओं को नोट कराकर अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् हिंदी अनुभाग को सूचित किया जाए।
5. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
6. डाटा मैनेजर- इस आदेश की प्रति को आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सुनील कुमार
सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaebihar@cag.gov.in